[1]संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956

(सं0 आ0 52)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 कहा जा सकेगा ।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जातियां, संविधान के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां समझी जाएंगी :

परंतु कोई भी व्यक्ति जो हिंदू [2][, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. वरवाला
2. वसीठ
3. बटवाल
[3][4. चमार या रामदासिया, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास]
[3][5. चूड़ा, भंगी, बाल्मीकि, मेहतर]
6. ध्यार
[3][7. डोम या महाशा, डुमना]
8. गर्दी
9. जोलाहा
10. मेष या कबीरपंथी
11. रताल
12. सरयारा
13. वाताल ।

---

[1] विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0नि0आ0 3135क, तारीख 22 दिसम्बर, 1956, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1956, भाग 2, खण्ड 3, पृ0 2686क पर प्रकाशित ।

[2] 1990 के अधिनियम सं0 15 की धारा 6 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और तीसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।